"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नग़द भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2006—भाद्र 10, शक 1928

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक 971/प्र. 1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि सचिव श्री राजू साहू आ. श्री बाबुलाल साहू द्वारा मां महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट कमेटी कुम्हारी जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13-09-2006 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं तारन प्रकाश सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 13-09-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	मां महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट कमेटी कुम्हारी जिला दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	62000 नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	1842000 रु.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक
एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1050.—अध्यक्ष, शासकीय कन्या महाविद्यालय सह. समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2044, दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 2-12-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर शास. कन्या महाविद्यालय सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे स. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1052.—अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या. मंगला पंजीयन क्रमांक 3940, दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1454 दिनांक 26-11-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदर्श बहुउद्देशीय महिला सह. स. मर्या. मंगला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1054.—अध्यक्ष, नारी कल्याण उद्योग सह. समिति मर्या. दयालबंद पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1452 दिनांक 26-11-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या. दयालबंद बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1055.—अध्यक्ष, पत्थर एवं मुरूम खदान सह. समिति मर्या. चकरभाटा पंजीयन क्रमांक 3525, दिनांक 15-4-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1460 दिनांक 26-11-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर पत्थर एवं मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. चकरभाटा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1056.—अध्यक्ष, ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. श्रवणदेवरी पंजीयन क्रमांक 2578, दिनांक 29-5-59 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1459 दिनांक 26-11-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. श्रवण देवरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1057.—अध्यक्ष, नर्मदा बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति मर्या. मंगला पंजीयन क्रमांक 3945, दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 2-12-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर नर्मदा बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति मर्या. मंगला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे सह. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/1061.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1531/बिलासपुर दिनांक 8-12-2005 के तहत आदि. खनिज एवं ईंट निर्माण सहकारी समिति कुड़कई पंजीयन क्रमांक 3755, दिनांक 19-9-97 विकासखण्ड पेन्ड्रा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापनक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-08-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/1062.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2108/बिलासपुर दिनांक 19-11-91 के तहत बांस गोला उद्योग सहकारी समिति मोहतरा पंजीयन क्रमांक 2786, दिनांक 16-3-78 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री महेन्द्र बंदे सह. निरी. सहकारिता विस्तार अधिकारी बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापनक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-08-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/1063.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2108/बिलासपुर दिनांक 19-11-91 के तहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बेलगहना पंजीयन क्रमांक 1943, दिनांक 27-2-56 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बन्दे स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापनक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-08-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/1064.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर दिनांक 24-06-95 के तहत कंजूमर्स को. आप. स्टोर सहकारी समिति मर्या. पेन्ड्रा पंजीयन क्रमांक 2898, दिनांक 12-11-59 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापनक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-08-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/1065.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर दिनांक 24-06-95 के तहत जनजाति वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या. पेन्ड्रा पंजीयन क्रमांक 2828, दिनांक 27-03-66 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापनक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-08-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.